बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

आदेश

आदेश सं0–16/विविध–6–03/2008का0 2940 /पटना–15, दिनांक 19.5.08

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम–3/08) के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का गठन, विधि विभाग की अधिसूचना सं0–एल0जी0–1–28/07/लेज दिनांक–04.01.2008 से प्रभावी है एवं उपरोक्त के आलोक में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992, उपर्युक्त अधिनियम की धारा–24 द्वारा निरस्त हो चुकी है।

2. अतः उपरोक्त अधिनियम के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 2(झ) एवं 9(1) के अंतर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारियों के विरुद्ध, जिस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हैं उसी कार्यालय/विभाग के आरोप के लिए यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने हेतु विभागीय प्रशासी प्रधान/कार्यालय प्रधान को अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

3. आरोपित कर्मी के प्रशासी विभाग (जहाँ का आरोप है) से स्थानांतरण होने की स्थिति में, उस कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ही सक्षम प्राधिकार होगा।

4. संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने से पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा। साथ ही आरोपित कर्मी के संबंध में, संबंधित विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का पूर्ण ब्यौरा/अभिलेख, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराया जायग।

5. यदि प्रशासी विभाग द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को निलंबित किया जाता है तब वैसी परिस्थिति में निलंबन की अवधि में निलंबित कर्मी का मुख्यालय उनके पदस्थापन के विभाग/कार्यालय में रहेगा एवं उनको जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान वहीं से होगा।

6. इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव

16-01-24-06-order

ज्ञापांक—16/विविध—6—03/2008का0 2940 /पटना—15, दिनांक 19-5-08

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद/महाधिवक्ता/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी कार्यालय प्रधान/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्य मंत्री सचिवालय/ राज्य सूचना आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
16.5.2008
सरकार के सचिव

16-01-24-06-order

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक- 28.4.08

अधिसूचना सं0-16/सं0सं0-604/02 का0 2378 / इस विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-2815 दिनांक 30.12.05 द्वारा सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सहायकगण एवं प्रशाखा पदाधिकारियों को दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए सदस्य राजस्व पर्षद विनिर्दिष्ट हैं ।

2. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03/08) ... जनवरी, 2008 से प्रवृत्त है ।

उक्त अधिनियम में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारियों के अनुशासनिक प्राधिकार, " बिहार राज्यपाल " हैं ।

3. उपरोक्त स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अ... नियमावली 2005 के नियम 24(2) के आलोक में सरकार द्वारा दिये गये दण्ड/ आदे... विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता है ।

4. अतः विभागीय अधिसूचना सं0-2815 दिनांक 30.12.05 में अधिसूचि... प्रशाखा पदाधिकारियों शब्द को विलोपित किया जाता है ।

5. उपर्युक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

6. शेष यथावत रहेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(राजवंश मणि सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 16/सं0सं0-604/02 का0 2378 पटना-15 दिनांक- 28.4.08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार पटना को इस अनुरोध ... अग्रसारित किया जाता है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र में करायी ... उसकी 300 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 2378 पटना-15, दिनांक- 28.4.08

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/ सदस्य, राजस्व पर्षद/ महाधिवक्ता, बिहार, पटना सभी विभागों/ कार्यालयों के प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्र... हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

शम्भू/-